संख्या-55/2022/843/26-3-2022-4(358)/07 टी.सी.III

प्रेषक

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 10 मई 2022

विषयः गत वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2021-22 में अनुसूचित जनजाति दशमोत्त्र छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के लम्बित आवेदनों का जनपद स्तर से अग्रसारण कराये जाने हेतु समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-15/ज0जा0वि0/दश0छात्रवृत्ति/2022-23, दिनांक-21.04.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से गत वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2021-22 में अनुसूचित जनजाति दशमोतर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के लम्बित आवेदनों का जनपद स्तर से अग्रसारण कराये जाने हेतु समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त प्रस्ताव के क्रम में गत वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2021-22 में अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के लम्बित आवेदनों का जनपद स्तर से अग्रसारण हेतु निम्नानुसार समय-सारिणी निर्गत की जाती हैः-

क्र0सं0	**लम्बित डाटा के सम्बन्ध में प्रक्रियात्मक कार्यवाही**	**समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (वर्ष 2021-22)**
1	शिक्षण संस्था के स्तर पर गत वर्ष में छात्र/छात्रा के अग्रसारण हेतु लम्बित ऑनलाइन आवेदन को प्राप्त करने के उपरांत सत्यापित/निरस्त/अग्रसारित करने हेतु	10 मई 2022 से 17 मई 2022 तक
2	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठयक्रम, पाठयक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता की डिजीटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठयक्रमों, संस्थाओं	22 मई 2022 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	को ब्लाक करना। अवशेष छात्रों की फीस लाक करना।	
3	PFMS साफटवेयर से सत्यापनोपरांत डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	18 मई 2022 से 23 मई 2022 तक
4	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लेकर लिया जाना एवं स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजीटल हस्ताक्षर से स्वीकृत डाटा को लाक किया जाना।	23 मई 2022 से 30 मई 2022 तक
5	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजीटल हस्ताक्षर से लाक डाटा के आधार पर नवीन (FRESH) एवं नवीनीकरण (Renewal) के पात्र एवं सत्यापित छात्र/ छात्राओं का एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित करना।	10 जून 2022 तक

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानां के अनुसार दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

पृ0सं0-55 /2022/843 (1)/26-3-2022 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, जनजाति विकास विभाग।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
8- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, जनजाति विकास विभाग।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in